

डिक्री बमुकदमें ईबादाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 482/2024 अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट

किशनलाल पुत्र रुघाराम जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-वादी

बनाम

1. भादरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत साकिन रावतसर हाल चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी

श्री दिनेश भादू प्रतिवादी सं. 1

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक-

14.10.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि वादी को चक 7 बी.पी.एस.एम. के प0न0 230/2 (33) के किला न0 21/1 की 0.042 है0 पश्चिमी पासा की भूमि का व प्रतिवादी स0 1 भादरसिंह को चक 7 बी.पी.एस.एम. के प0न0 230/2 (33) के किला न0 17 की 0.042 पूर्वी पासा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.10.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

